17-6-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट ग्रा०पं० कुण्डवा पर प्रस्तुत हुयी। वादी रामभजन उपस्थित। पेशकार सरकार तहसीलदार उनियारा द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया कि दावा सिवायचक से चरागाह मे दर्ज होने पर पुनः सिवायचक दर्ज कराने का है। चरागाह पशुओ के चरने के काम आता है तथा जनहित से जुडा हुआ है। वादी को इस प्रकार का दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं है लेण्ड होल्डर तहसीलदार है।

वादी व तहसीलदार को वाद पत्र पर सुना गया। पत्रावली का उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। वादग्रस्त भूमि ख०न० 60 रकबा 3.41 हे० वाके ग्राम रसूलपुरा राजस्व रेकार्ड मे चरागाह दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पंचायत क्षेत्र मे है। चरागाह भूमि ग्रा०पं० से सम्बन्धित है। वादी ने ग्रा०पं० को आवश्यक पक्षकार नही बनाया है इसके अलावा वादग्रस्त भूमि का लेण्ड होल्डर तहसीलदार है। सिवायचक से चरागाह भूमि होने के सम्बन्ध मे लेण्ड होल्डर ही वाद ला सकते है। वादी को इस प्रकार का वाद लाने का अधिकार नहीं है। वाद वादी चलने योग्य नही होने से खारिज

किया जाता है पत्रावली फैसल हुक्मानुसार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो